न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही (राज.)
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 03/2025

अपीलार्थी

विमलादेवी पुत्री श्री कालूरामजी पत्नि शान्तिलाल जी मेघवाल, जाति– मेघवाल, निवासी– रामपुरा, तहसील व जिला– सिरोही (राज.)

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. अशोक उर्फ ओमप्रकाश पुत्र श्री कालूरामजी मेघवाल, जाति– मेघवाल, निवासी– रामपुरा, तहसील व जिला– सिरोही (राज.)
2. हिम्मत पुत्र श्री कालूरामजी मेघवाल, जाति– मेघवाल, निवासी– रामपुरा, तहसील व जिला सिरोही (राज.)
3. नैनाराम पुत्र श्री कालूरामजी मेघवाल, जाति–मेघवाल, निवासी–रामपुरा, तहसील–सिरोही, जिला सिरोही (राज.)
4. सुबटीदेवी पत्नि श्री कालूरामजी, जाति– मेघवाल, निवासी–रामपुरा, तहसील व जिला– सिरोही (राज.)
5. भारती पुत्री श्री कालूरामजी पत्नि श्रवण कुमार जी मेघवाल, जाति–मेघवाल, निवासी सार्दुलपुरा, सिरोही, तहसील सिरोही जिला सिरोही (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री ऋषि माथुर, अपीलार्थी की ओर से।
(3) पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्याः 6 (छः) ओर से।

–: निर्णय :– **दिनांक 25 मार्च, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का रामपुरा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 362 दिनांक 07–6–1992 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत अपील व प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन व नोटिस जारी किये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 6 (छः) की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। जबकि प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 19–3–2025 को प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 क्रमशः हिम्मत, नैनाराम व सुबटीदेवी ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर संयुक्त रुप से लिखित जबाव प्रस्तुत किया उसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4, इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्याः 01 (एक) को सम्मन व नोटिस की पंजीकृत डाक से तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये तथा प्रत्यर्थी संख्याः 5 (पांच) भारती पुत्री कालूराम जी पत्नि श्रवण कुमार जी मेघवाल को सम्मन की दैनिक समाचार पत्र "दैन्कि नवज्योति" में दिनांक 03–12–2025 को सम्मन को छाया करवाकर सम्मन की तामिल दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से होने के बावजूद भी इस न्यायालय में उपस्थित नही हुई।

(3) प्रकरण में बहस सुनी गई। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री माथुर ने अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का रामपुरा, भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र रामपुरा, तहसील व

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

जिला सिरोही (राज.) के खाता संख्या 293 खसरा संख्या 408 रकबा 0–8100 हेक्टेयर भूमि आई हुई है। उपरोक्त कृषि भूमि में कब्जा काश्त और खातेदारी हक अधिकार अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 और प्रत्यर्थी संख्या 5 के पिता और प्रत्यर्थी संख्या 4 के पति, स्वर्गीय कालुराम जी पुत्र मानाजी मेघवाल, निवासी– रामपुरा का रहा है। कालुरामजी पुत्र मानाजी मेघवाल उपरोक्त कृषि भूमि के एक मात्र खातेदार कृषक रहे है जिसका उल्लेख संलग्न राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे किया हुआ है। कालुरामजी के तीन पुत्र क्रमशः हिम्मत, अशोक और नैनाराम हुए है। इसी प्रकार से कालुरामजी के दो पुत्रिया क्रमशः विमलादेवी और भारती हुई है व कालुरामजी की पत्नि सुबटीदेवी है। कालुरामजी की मृत्यु के पश्चात् उपरोक्त कृषि भुमि की खातेदारी, नामान्तकरण संख्या 362 दिनांक 07–06–1992 के जरिए उनके पुत्रो अशोक उर्फ ओमप्रकाश, हिम्मत, नैनाराम (प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3) और पत्नि सुबटीदेवी (प्रत्यर्थी संख्या 4), के नाम से अंकित कर दी गई है जबकि कालुरामजी के वारिसान में तीनों पुत्रो नैनाराम, हिम्मत, अशोक उर्फ ओमप्रकाश और पत्नि सुबटीदेवी के अलावा दो पुत्रियां विमला (अपीलार्थी) और भारती (प्रत्यर्थी संख्या 5) भी है। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 5 भी स्वर्गीय कालुरामजी के विधिक उत्तराधिकारी है जिससे कालुरामजी की उपरोक्त 1/2 हक हिस्से की कृषि भूमि में उनके छः विधिक उत्तराधिकारियों पुत्रगण नैनाराम, हिम्मत, अशोक उर्फ ओमप्रकाश, पत्नि सुबटीदेवी और पुत्रियां विमला व भारती का बराबर बराबर हक हिस्सा होता है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार कालुरामजी के सभी छः विधिक उत्तराधिकारी उपरोक्त कृषि भूमि में समान रूप से 1/12 एक बटा बारह हिस्से के खातेदार कृषक होते है जिससे पटवारी रामपुरा को चाहिए था की कालुरामजी की मृत्यु के पश्चात् उनके सभी उक्त छः वारिसानों का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में बतौर खातेदार अंकित करते लेकिन पटवारी रामपुरा ने उसके विपरित छः विधिक उत्तराधिकारीयो का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित नहीं कर केवल पुत्रों और पत्नि का नाम विधि विरूद्ध तरिके से नामान्तकरण संख्या 362 दिनांक 07–06–1992 के जरिए दर्ज कर दिया है। विद्वान पटवारी रानपुरा को उत्तराधिकार के मामले में मृतक कालुरामजी पुत्र मानाजी मेघवाल के सभी कानुनी वारीसानो के नाम से नामान्तकरण दायर करना चाहिए था लेकिन पटवारी रामपुरा ने ऐसा नही कर गंभीर कानुनी त्रुटी की है। पटवारी रामपुरा ने कालुरामजी के कानुनी उत्तराधिकारीयो के सम्बन्ध में कोई जॉच नहीं की है जबकि कालुराम पुत्र मानाजी मेघवाल की मृत्यु के पश्चात् उनके पिछे उनके उत्तराधिकारी विमलादेवी (पुत्री), अशोक उर्फ ओमप्रकाश, हिम्मत व नैनाराम (पुत्र), भारती (पुत्री) व सुबटीदेवी (पत्नि) है। पटवारी हल्का, रामपुरा को चाहिए था कि नामान्तकरण संख्या 362 दिनांक 07–06–1992 दायर करते समय कालुरामजी के पुत्रों अशोक उर्फ ओमप्रकाश, नैनाराम, हिम्मत और पत्नि सुबटीदेवी के साथ साथ उनके दोनों पुत्रियो विमलादेवी (अपीलार्थी), और भारती (प्रत्यर्थी संख्या 5) का नाम भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज करते, क्योकि उनकी दोनो पुत्रियां विमलादेवी और भारती भी स्वर्गीय कालुरामजी पुत्र मानाजी मेघवाल निवासी रामपुरा की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है लेकिन विमलादेवी (अपीलार्थी) और भारती (प्रत्यर्थी संख्या 5) दोनो ही मृतक कालुरामजी के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने के बावजुद भी पटवारी, रामपुरा ने प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के हक में नामान्तकरण संख्या 362 दायर किया, जिसे तहसीलदार सिरोही से दिनांक 07–6–1992 को स्वीकृत करवा दिया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का, रामपुरा ने बिना जाँच के उक्त नामान्तकरण दायर किया है एवं तहसीलदार, सिरोही ने भी मृतक खातेदार कालूराम जी पुत्र मानाराम जी के विधिक वारिसानों की सही रुप से जांच किये बिना ही नामान्तरकरण स्वीकृत किया है, जो विधि विरुद्ध है। पटवारी रामपुरा को यह भली भांती जानकारी थी कि मृतक कालुरामजी के प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के अलावा भी

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अन्य कानुनी उत्तराधिकारी है फिर भी पटवारी ने उक्त नामान्तकरण संख्या 362 दायर करने से पूर्व अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 5 को कोई नोटिस नहीं दिए है और तहसीलदार, सिरोही ने भी सुनवाई का अवसर दिये बिना ही नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जिससे अपीलार्थी के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का हनन हुआ है। पटवारी हल्का, रामपुरा को बिना उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के व उत्तराधिकारियों की जांच किये बिना नामान्तकरण दायर करने का विधि में कोई हक अधिकार नही है। तहसीलदार, सिरोही ने भी इन तथ्यो पर गौर नहीं फरमाकर नामान्तकरण को स्वीकृत करने में गंभीर कानुनी त्रृटि की है। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 5 (पांच) अपने पिता कालुरामजी की मृत्यु के समय नासमझ और नाबालिग थी और बाद में विवाह होने से वह अपने ससुराल चली गई थी। इस प्रकार से अपीलार्थी अनपढ होने से नामान्तकरण प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ थी जिससे अपीलार्थी इस विश्वास में रही की उनके पिता की मृत्यु के पश्चात् उनका नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हो गया है लेकिन अपीलार्थी को दिनांक 30—1—2025 को पहली बार जानकारी हुई की उनका नाम राजस्व रेकर्ड मे नही है तो अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर नामान्तकरण दायर होने बाबत तहसील कार्यालय सिरोही से नामान्तकरण पंजिका की नकल दिनांक 30—01—2025 को मांगी जो उसे दिनांक 31—01—2025 को प्राप्त हुई और उसमें नामान्तकरण संख्या 362 को पढने पर जानकारी हुई की केवल प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 का नाम ही राजस्व रेकर्ड में अंकित किया गया है और अपीलार्थी को पहली बार ज्ञात हुआ की उनका नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर उत्तराधिकार दर्ज नही हुआ है। पटवारी हल्का, रामपुरा की लापरवाही से कालुरामजी के स्थान पर केवल प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे बतौर खातेदार अंकित हो गया है। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 5 (पांच) भारती, कालुरामजी पुत्र मानाजी मेघवाल की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है इस कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उनका विधिक हक हिस्सा उपरोक्त कृषि भूमि में बनता है। अपीलार्थी को अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही होने की जानकारी दिनांक 30—01—2025 को हुई तो अपीलार्थी ने सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त कर उक्त अपील, जानकारी की तिथी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त RRT 2004(2) Page 861, RRD 2001 Page 49, RRD 1994 Page 77, RRD 1995 Page 300 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि पिता की सम्पति में पुत्र की तरह ही मृतक की पुत्रियां भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 व 9 के तहत उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकार के मामलों में मियाद की अवधि जानकारी तिथि से लागू होती है। इस प्रकरण में नामान्तरकरण की कार्यवाही से पहले अपीलार्थी को कोई नोटिस नही दिया, इसलिये उक्त नामान्तरकरण की पूर्व से अपीलार्थी को जानकारी नही थी। अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, सिरोही द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 362 दिनांक 07—6—1992 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावनापूर्ण होने से अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जावे और अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का रामपुरा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 362 दिनांक 07—6—1992 को निरस्त किया करते हुए मृतक खातेदार कालुराम पुत्र माना जी मेघवाल, निवासी— रामपुरा के सभी कानुनी उत्तराधिकारीयों के नाम विवादित कृषि भूमि का नामान्तकरण दायर करवाकर स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार, सिरोही को आदेशित किया जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि उक्त कृषि भूमि के 1/2 हक हिस्से के खातेदार कालुराम पुत्र मानीया

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर ✱ सिरोही ✱ राजस्थान
सत्यमेव जयते

मेघवाल की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का, रामपुरा द्वारा उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 362 दायर किया गया, जिसे तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 07—6—1992 को स्वीकृत किया गया है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का रामपुरा के खाता संख्या 293 खसरा संख्या 408 रकबा 0—8100 हेक्टेयर कृषि भूमि के सह खातेदार कालुराम पुत्र मानीया जी मेघवाल, निवासी— रामपुरा की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का, रामपुरा द्वारा मृतक खातेदार कालुराम पुत्र मानीया जी मेघवाल के 1/2 हक हिस्से की उक्त कृषि के सम्बन्ध में हिम्मत, अशोक, नेना पि0 कालु, नाबालिग की कुदरती वली माता सुबटी व सुबटी पत्नि कालुराम के हक में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 362 दायर किया गया, जिसे तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 07—6—1992 को स्वीकृत किया गया है।

तहसीलदार, सिरोही द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण संख्या 362 दिनांक 07—6—1962 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 05—2—2025 को अपील प्रस्तुत की गई है जो विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। जहां तक, यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है? अपीलार्थी ने अपील पेश करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा कराने हेतु धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया है। जिसमें यह अंकित किया है कि ''अपीलार्थी के पिता कालुराम पुत्र माना जी मेघवाल की मृत्यु के बाद अपीलार्थी के पिता कालुराम पुत्र माना जी मेघवाल के हक हिस्से की उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही होने की अपीलार्थी को प्रथम बार जानकारी दिनांक 30—01—2025 को हुई, तब अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर तहसील कार्यालय से उक्त नामान्तरकरण की नकल मांगी, जो दिनांक 31—01—2025 को प्राप्त की और जानकारी तिथि से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलार्थी की कोई बदनियति या लापरवाही नही रही है, इसलिये विलम्ब की अवधि क्षमा किया जावे।'' अपीलार्थी ने धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत किया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि मियाद की अवधि जानकारी की तिथि से प्रारम्भ होती है, न कि आदेश की तारीख से। जिससे यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने में कोई लापरवाही या बदनियति नही रही है तथा अपील पेश करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा कराने हेतु प्रस्तुत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुए इस अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जा रहा है।

अपीलार्थी का मुख्यतः कथन यह है कि ''कालुरामजी के वारिसान में तीनों पुत्रों नैनाराम, हिम्मत, अशोक उर्फ ओमप्रकाश और पत्नि सुबटीदेवी के अलावा दो पुत्रियां विमला (अपीलार्थी) और भारती (प्रत्यर्थी संख्या 5) भी है। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 5 भी स्वर्गीय कालुरामजी के विधिक उत्तराधिकारी है जिससे कालुरामजी की उपरोक्त 1/2 एक बटा दो हिस्से की कृषि भूमि में उनके छः विधिक उत्तराधिकारियां पुत्रगण नैनाराम, हिम्मत, अशोक उर्फ ओमप्रकाश, पत्नि सुबटीदेवी और पुत्रियां विमला व भारती का बराबर बराबर हक हिस्सा होता है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार कालुरामजी के सभी छः विधिक उत्तराधिकारी उपरोक्त कृषि भूमि में समान रूप से 1/12 हिस्से के खातेदार कृषक होते है, लेकिन पटवारी रामपुरा ने उक्त छः विधिक उत्तराधिकारीयो का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित नहीं कर केवल मृतक खातेदार के

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पुत्रों और पत्नि (प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4) के नाम विधि विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 362 दायर किया, जिसे तहसीलदार, सिरोही ने दिनांक 07–6–1992 को स्वीकृत किया है।''

प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 द्वारा दिनांक 19–3–2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत जबाव में भी यह अंकित किया है कि ''ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का रामपुरा, तहसील व जिला– सिरोही में खाता संख्या 293 खसरा संख्या 408 रकबा 0–8100 हेक्टेयर कृषि भूमि अवश्य आई हुई है, उपरोक्त कृषि भूमि में कब्जा काश्त और खातेदारी हक अधिकार अपीलार्थी विमलादेवी और प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 और प्रत्यर्थी संख्या 5 के पिता तथा प्रत्यर्थी संख्या 4 के पति स्वर्गीय कालुराम पुत्र मानाजी मेघवाल, निवासी– रामपुरा का रहा है। कालुराम पुत्र मानाजी मेघवाल उपरोक्त कृषि भूमि के एकामात्र खातेदार कृषक रहे है। कालुरामजी के वारिसान में तीनों पुत्रों नैनाराम, हिम्मत, अशोक उर्फ ओमप्रकाश और पत्नि सुबटीदेवी के अलावा दो पुत्रियां विमला (अपीलार्थी) और भारती (प्रत्यर्थी संख्या 5) भी है। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 5 भी स्वर्गीय कालुरामजी के विधिक उत्तराधिकारी है जिससे कालुरामजी की उपरोक्त 1/2 हक हिस्से की कृषि भूमि में उनके छः विधिक उत्तराधिकारियां पुत्रगण नैनाराम, हिम्मत, अशोक उर्फ ओमप्रकाश, पत्नि सुबटीदेवी और पुत्रियां विमला व भारती का बराबर बराबर हक हिस्सा होता है, लेकिन त्रृटिवश उपरोक्त सभी छः विधिक उत्तराधिकारियों का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित नही कर केवल पुत्रों व पत्नि (प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4) का नाम ही राजस्व रेकर्ड में अंकित किया गया है। यदि उक्त नामान्तरकरण संख्या 362 दिनांक 07–6–1992 को निरस्त कर अपीलार्थी विमलादेवी पुत्री कालुराम जी पत्नि शान्तिलाल जी मेघवाल, निवासी– रामपुरा व भारती पुत्री कालुरामजी पत्नि श्रवण कुमार मेघवाल का नाम उक्त कृषि भूमि में जोडा जाने के आदेश दिये जाते है तो प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 को कोई आपत्ति नही है।''

इस प्रकार, प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 की ओर से प्रस्तुत उक्त जबाव में अंकित कथनों से यह तथ्य निर्विवादित है कि मृतक खातेदार कालुराम पुत्र मानीया मेघवाल, निवासी– रामपुरा के विधिक वारिसान में उनके पुत्रों अशोक उर्फ ओमप्रकाश, हिम्मत, नैनाराम व पत्नि सुबटी देवी के अलावा उनकी पुत्रियां अपीलार्थी विमलादेवी व भारती (प्रत्यर्थी संख्या 5) भी है एवं उक्त खातेदार कालुराम पुत्र मानीया जी मेघवाल की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नामान्तरकरण मृतक खातेदार कालुराम पुत्र मानीया जी मेघवाल के तीनों पुत्रों अशोक, हिम्मत व नैनाराम व पत्नि सुबटीदेवी के पक्ष में ही दायर होकर स्वीकृत हुआ है। जबकि मृतक खातेदार कालुराम पुत्र मानीया जी मेघवाल की मृत्यु के बाद उनके विधिक वारिसान में उनकी पुत्रियां भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा– 8 के अनुसार अनुसूची के वर्ग 1 में विर्निदिष्ट प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 40 के अनुसार हिन्दू खातेदार के निर्वसीयत मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकार के संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू होते है। इस प्रकार, अपीलार्थी विमलादेवी व प्रत्यर्थी संख्या 5 (पांच) भारती भी अपने पिता मृतक खातेदार कालुराम पुत्र मानीया जी मेघवाल, निवासी– रामपुरा के हक हिस्से की कृषि भूमि में बराबर–बराबर हिस्सें में अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकार रखती है। ऐसी स्थिति में, प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 362 दिनांक 07–6–1992 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, सिरोही को उक्त मृतक खातेदार कालुराम पुत्र मानीया जी मेघवाल, निवासी– रामपुरा के विधिक उत्तराधिकारियों के संबंध में जांच करके पुनः विधि अनुसार नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

.....पेज छः पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी, अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थी सारवान होने एवं साबित होने से स्वीकार की जाकर तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का रामपुरा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 362 दिनांक 07–6–1992 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार, सिरोही को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक खातेदार कालुराम पुत्र मानीया जी मेघवाल, निवासी– रामपुरा के विधिक उत्तराधिकारियों के संबंध में जांच करके इनके सभी विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में पुनः विधि अनुसार नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने की कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25 मार्च, 2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही